

29/6/18

पत्रावली पैरा 221 की फेरछार सखार ने मोंडा रिपोर्ट प्रस्तुत की। उभयपक्षकारण उपर। फेरछार सखार ने बैंक सखारों के समक्ष बताया कि बाडी ने अपने आराजी खसरा नं. 2211 में जाने हेतु रास्ता चाहा। जो प्राणीगण की अन्य मालिकारी आराजी खसरा नं. 2209 खका 0.50 में से आने जाने हेतु रास्ते के रूप में काम में ले सक्ता है। पूर्व में भी खसरा नं. 2209 भूमि का उपयोग रास्ते हेतु किया जा रहा था। अतः ऐसी स्थिति में नवीन रास्ता डिलामा जाना अनिवार्य प्रतीत नहीं होना बताया। उपस्थित पक्षकारण को सुना गया। शिडिर में उपस्थित जनसमुदाय से शय्यभुमारी की गई तो पूर्व में उपयोग में आने वाले रास्ते खसरा नं. 2209 की पुष्टि होना पता गया। अतः ऐसी स्थिति में बैंक सखारों द्वारा प्राणी द्वारा प्रस्तुत प्राप्ति पत्र आनुलोष योग्य नहीं होने से ~~अस्वीकृत~~ अस्वीकृत दिए जाने का निर्णय लिया। अतः प्रस्तुत प्राप्ति पत्र U.S. 2211 की स्तर पर अस्वीकृत किया जाता है। पत्रावली पैरा 2211 की स्तर पर अस्वीकृत किया जाता है। नेबर से डम होकर शिडिर स्फार हो

उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (अजमेर)

